

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)



क्र. ६२४/एम.आई.सी. सचिव/न.पा.नि./2018
प्रति,

रायगढ़, दिनांक ०५/१०/१८

संयुक्त सचिव,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
नया मंत्रालय, महानदी भवन,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- नगर पालिक निगम रायगढ़ के महापौर परिषद की बैठक दिनांक 13.09.2018 की स्थगित बैठक दिनांक 19.09.2018 के कार्यवाही विवरण की जानकारी के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 53 (5) अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ के महापौर परिषद की बैठक दिनांक 13.09.2018 की स्थगित बैठक दिनांक 19.09.2018 के प्रस्ताव एवं संकल्प की एक प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. ६२४/एम.आई.सी.सचिव/न.पा.नि./2018
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक ०५/१०/१८

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. उपायुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
7. एम.आई.सी. प्रभारी श्री/श्रीमती/सुश्री की ओर सूचनार्थ।
8. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं नगर पालिक निगम रायगढ़ के वेबसाइट में प्रविष्टि हेतु पालनार्थ।
9. जावक लिपिक, नगर पालिक निगम रायगढ़ एक प्रति सूचनार्थ बोर्ड में चस्पा हेतु पालनार्थ।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

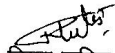
कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 13.09.2018 की स्थगित बैठक दिनांक 19.09.2018 दिन बुधवार

समय दोपहर 12:00 बजे

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
23	नगर निगम रायगढ़ के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था नहीं है, वर्तमान में जो निगम परिसर में आवास है, वह काफी जर्जर है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा चांदमारी फेस 01 (एक) के पास 6 MIG एवं 4 HIG Flat का निर्माण किया गया है। जिसका निर्माण 14.04.2012 को पूर्ण हो चुका है, विगत 05 वर्षों से रिक्त होने के कारण कुछ क्षति हो गए हैं। उक्त भवन को हाउसिंग बोर्ड द्वारा मरम्मत कराकर विक्रय किया जाना है। जिसकी देय लगभग मूल्य राशि रु. 278.38 लाख है। उक्त 10 आवासीय मकान खरीदी हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	पूर्ण जानकारी के आगामी बैठक में रखे।
24	कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण रायगढ़ का पत्र क्रमांक 47/87/डूडा/2018 रायगढ़, दिनांक 03.02.2018 प्राप्त जिसमें शहीद चौक का नामकरण शहीद भगत सिंह चौक एवं प्रतिमा स्थापित करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।	अनुशंसा की जाती है। प्रकरण परिषद् बैठक में रखा जावे।
25	माननीय विधायक रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र क्र. 16 का पत्र क्रमांक 6716/दिनांक 04.05.2017 प्राप्त जिसमें कोतारा रोड थाना कामर्स कालेज के पास चौक का नामकरण "महाराणा प्रताप चौक एवं प्रतिमा स्थापित करने हेतु पूर्व में परिषद् की बैठक दिनांक 22.06.2010 में नामकरण का प्रस्ताव पारित है एवं मूर्ति स्थापना का प्रस्ताव पारित नहीं है। अतः प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।	महाराणा प्रताप चौक में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा की स्थापना की अनुशंसा की जाती है, साथ ही मान. काशीराम चौक में मान. काशीराम जी की प्रतिमा स्थापित करने की अनुशंसा की जाती है। प्रकरण आगामी परिषद् बैठक में रखा जावे।
26	कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण रायगढ़ का पत्र क्रमांक 237/335/डूडा/2018 दिनांक 23.06.2018 प्राप्त जिसमें जिला ग्रंथालय का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. श्री बरेन्द्रनाथ बनर्जी के नाम से करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।	अनुशंसा की जाती है, प्रकरण परिषद् बैठक में रखा जावे।
27	सतनामी समाज रायगढ़ का आवेदन पत्र क्रमांक Q दिनांक 02.07.2018 प्राप्त जिसमें जेल परिसर काम्प्लेक्स के पास चौक का नामकरण "मिनीमाता चौक एवं मूर्ति स्थापना" करने बाबत प्रस्ताव प्राप्त। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।	ओवरब्रिज के नीचे रेल्वे लाईन से लगा हुआ चौक का नामकरण मिनी माता चौक एवं मूर्ति स्थापना की अनुशंसा की जाती है। प्रकरण परिषद् बैठक में रखा जावे।
28	नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत सबमर्सिबल मॉटर पंप मरम्मत एवं रिवाईडिंग कार्य अनु. लागत (43.53) लाख हेतु दिनांक 02.07.2018 तक दैनिक भास्कर एवं जनकर्म समाचार पत्र में ई-निविदा आमंत्रित की गई, जिसका डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 02.07.2018 को सायं 05:30 बजे तक थी एवं निविदा खोलने की अंतिम तिथि 04.07.2018 को निर्धारित थी, जिसे दिनांक 06.07.2018 ऑनलाईन खोला गया। प्राप्त ई-निविदा को निविदा समिति की बैठक दिनांक 09.07.2018 वर्तमान बाजार भाव के अनुरूप एवं स्वीकृति योग्य होने से क्रमांक 1 से लेकर 36 तक के दर में दिनेश इंजिनियरिंग रायगढ़ का स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। प्रकरण स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	स्वीकृत।

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
31	कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण रायगढ़ का पत्र क्र. 232/396/डूडा/2018 रायगढ़, दिनांक 22.06.2018 प्राप्त जिसमें शहर को कचरा मुक्त करने के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत शहर को 3 स्टार घोषित किये जाने एवं खुले में शौच मुक्त शहरों के लिए ओ.डी.एफ.+ शहर घोषित किया जाना है। जिस हेतु निम्नांकित बिंदुओं पर कार्य किया जाना है :- 1. डोर टू डोर कचरा कलेक्शन 2. स्रोत पृथकीकरण 3. सार्वजनिक, व्यवसायिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में सफाई (गलियों में किसी भी प्रकार का कचरा दिखाई न देना) 4. कूड़ेदान की व्यवस्था 5. सामग्री रिकवरी सेंटर 6. थोक अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा आन साईट कम्पोस्टिंग 7. वैज्ञानिक रीति से अपशिष्ट का निपटान, वैज्ञानिक लैण्डफिल तथा विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन 8. यूजर चार्ज, जुमाना, स्पाट फाईन एवं प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध। 9. नागरिक शिकायत एवं फीडबैक सिस्टम। 10. अपशिष्ट (कूड़े) डम्पिंग का निवारण एवं डम्प साईट का उपचार। 11. भारी वर्षा से हुई गंदगी की सफाई एवं जल स्रोतों की सफाई। 12. शहरी सौन्दर्यीकरण। उपरोक्त 12 बिंदुओं पर विचारार्थ प्रस्तुत।	अनुशंसा की जाती है, प्रकरण परिषद् बैठक में रखा जावे।
34	रायगढ़ निगम क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र. 43 सराईपाली तालाब से मंदिर से स्कूल तक बी.टी. सड़क निर्माण कार्य (अनु. लागत 48.57 लाख) हेतु दिनांक 12.06.2018 तक दैनिक पत्रिका एवं नई दुनिया समाचार पत्र के माध्यम से द्वितीय ई-निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसे दिनांक 04.07.2018 को ऑनलाईन खोला गया। उक्त कार्य हेतु संतोष कुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत दर 11.21 प्रतिशत (ग्यारह दशमलव दो एक प्रतिशत) कम एस.ओ.आर. (पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर. 01.01.2015 से प्रचलित बाजार भाव से अधिक होने के कारण उक्त निविदाकार से दर में निगोशियेशन कराया गया। निगोशियेशन पश्चात् उक्त कार्य हेतु संतोष कुमार अग्रवाल रायगढ़ द्वारा 12.31 (बारह दशमलव तीन एक प्रतिशत) कम एस.ओ.आर. दर प्रस्तुत किया गया, जो प्रचलित बाजार भाव के अनुरूप एवं स्वीकृति योग्य है, उक्त दर निविदा समिति की बैठक दिनांक 07.09.2018 की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	स्वीकृत।
35	वार्ड क्र. 06 दिनदयाल कालोनी के पास पुलिया निर्माण कार्य का प्राक्कलन राशि रु. 35.51 (पैंतीस दशमलव पांच एक) लाख मात्र का तैयार किया गया है। प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	13 वें वित्त आयोग का बचत राशि के विरुद्ध प्राप्त प्रस्ताव राशि रुपये 35.51 लाख का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को भेजा जावे।


 निगम सचिव
 नगर पालिक निगम
 रायगढ़ (छ.ग.)


 महापौर
 नगर पालिक निगम
 रायगढ़ (छ.ग.)